

30.7.19 छात्रों के विद्योक्तता उपाहिन/ मासिक
 विद्योक्तता की तलेकी हेतु नोटिस
 तलेखाना भेजा नद्ये क्रिये हे जबकि
 वेश हेतु विद्योक्तता छात्रों को करीब
 दो वर्ष का पयत्ति समय दिया
 गया हे, लिहाजा छात्रों का यह
 छात्रता पत्र -यात्रालेख विदेश की
 विपालना एवं विदम पैरकी से खारिज
 किया जाता हे। पत्रावली निर्णय शुभार
 हेकर नम्बर से कम हो व दाखिल
 दफ्तर हो।

(सह)
 जिला कलक्टर
 बाडमेर